।। कार्यालय : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।।

पत्रांक /यात्रा व्यवस्था/निविदा–यात्रा व्यवस्था/2015–16 दिनॉक 17 मार्च, 2015,

अल्पकालीन निविदा

जिलाधिकारी कार्यालय रूद्रप्रयाग द्वारा श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़े–खच्चर संचालन हेतु प्रीपेड व्यवस्था वर्ष 2015 हेतु ऐसे अनुभवी कम्पनियों/फर्मों से जिन्हें सिक्योरिटी योजना के साथ किसी भी धार्मिक स्थल में प्रीपेड बिलिंग सिस्टम जिसमें प्रतिदिन 5000 से अधिक व्यक्तियों के संचालन की व्यवस्था करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो, **से दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को समय 03.00 बजे दोपहर तक सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक से जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी (यात्रा कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट भवन रूद्रप्रयाग के पते पर आमंत्रित की जाती है, जो उसी तिथि को 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेंगी।** निविदा लिफाफे पर दायीं ओर ऊपर की तरफ **''प्रीपेड काउण्टर हेतु निविदा''** अंकित करना आवश्यक है।

प्रीपेड व्यवस्था की निविदा हेतु नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं–

1. निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। (मूल प्रति निविदा खोलते समय समिति को दिखाना अनिवार्य है)
2. जमानत राशि रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) जो बैंक एफ0डी0 या एन0एस0सी0 जो जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के पदनाम बंधक कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर व रू0 1.00 का हस्ताक्षर युक्त रसीदी टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आयकर का पैन कार्ड एवं अद्यतन आयकर रिटर्न की कॉपी।
5. वाणिज्य कर पंजीकरण की छायाप्रति।
6. प्रीपेड व्यवस्था हेतु निम्न निर्धारित स्थानों पर निम्न प्रकार निर्धारित संख्या में काउण्टर स्थापित करना अनिवार्य होंगेः–

   (a) सोनप्रयाग–02 काउण्टर (b) गौरीकुण्ड–02 काउण्टर (c) लिनचोली–02 काउण्टर (d) केदारनाथ बेस कैम्प–02 काउण्टर

निविदा की **विस्तृत नियम एवं शर्तें जनपद रूद्रप्रयाग की वेबसाइट rudraprayag.nic.in**पर **देखी जा सकती हैं।**

ह0/–
जिलाधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

पृ0 3332/तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–जिला सूचनाधिकारी रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को किन्ही दो सर्वाधिक प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम शासकीय दरों पर न्यूनतम साइज में, प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

2.जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें **(संलग्न)**।

3. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, रुद्रप्रयाग को परिपालनार्थ।

17/03/15

मुख्य विकास अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

।। कार्यालय : जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।।

पत्रांक /यात्रा व्यवस्था/निविदा–यात्रा व्यवस्था/2015–16 दिनॉक , मार्च, 2015,

अल्पकालीन निविदा

जिलाधिकारी कार्यालय रूद्रप्रयाग द्वारा श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़े–खच्चर संचालन हेतु प्रीपेड व्यवस्था वर्ष 2015 हेतु ऐसे अनुभवी कम्पनियों/फर्मों से जिन्हें सिक्योरिटी योजना के साथ किसी भी धार्मिक स्थल में प्रीपेड बिलिंग सिस्टम जिसमें प्रतिदिन 5000 से अधिक व्यक्तियों के संचालन की व्यवस्था करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव हो, **से दिनांक 01 अप्रैल, 2015 को समय 03.00 बजे दोपहर तक सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक से जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी (यात्रा कन्ट्रोल रूम) कलक्ट्रेट भवन रूद्रप्रयाग के पते पर आमंत्रित की जाती है, जो उसी तिथि को 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेंगी।** निविदा लिफाफे पर दायीं ओर ऊपर की तरफ **"प्रीपेड काउण्टर हेतु निविदा"** अंकित करना आवश्यक है।

<u>प्रीपेड व्यवस्था की निविदा हेतु नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं–</u>

1. निविदा के साथ अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें। (मूल प्रति निविदा खोलते समय समिति को दिखाना अनिवार्य है)
2. जमानत राशि रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) जो बैंक एफ0डी0 या एन0एस0सी0 जो जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग के पदनाम बंधक कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ रू0 100.00 का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर व रू0 1.00 का हस्ताक्षर युक्त रसीदी टिकट संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आयकर का पैन कार्ड एवं अद्यतन आयकर रिटर्न की कॉपी।
5. वाणिज्य कर पंजीकरण की छायाप्रति।
6. प्रीपेड व्यवस्था हेतु निम्न निर्धारित स्थानों पर निम्न प्रकार निर्धारित संख्या में काउंण्टर स्थापित करना अनिवार्य होंगे:–

   (a) सोनप्रयाग–02 काउण्टर (b) गौरीकुण्ड–02 काउण्टर (c) लिनचोली–02 काउण्टर (d) केदारनाथ बेस कैम्प–02 काउण्टर
7. घोड़े–खच्चरों का संचालन रोटेशन के आधार पर स्वयं कम्पनी/फर्म के द्वारा किया जायेगा।
8. प्रीपेड व्यवस्था के लिए शेल्टर एवं काउण्टर जिला प्रशासन द्वारा दिये जायेंगे।
9. प्रीपेड काउण्टरों का संचालन प्रातः 04:00 बज़े से लेकर सांय 05:00 बजे तक नियमित रूप से किया जायेगा।
10. प्रीपेड काउण्टरों के नियमित संचालन हेतु सम्बन्धित फर्म को नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विद्युत जनरेटर की व्यवस्था प्रत्येक प्रीपेड काउण्टर पर अनिवार्य होगी, जिसके ईंधन की व्यवस्था एवं संचालन की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
11. प्रत्येक प्रीपेड काउण्टर के प्रत्येक पटल पर संचालन हेतु 02 कार्मिकों की व्यवस्था नियमित रूप से करनी अनिवार्य होगी।
12. प्रत्येक प्रीपेड स्थल पर 01 साफ्टवेयर इंजीनियर की व्यवस्था सम्बन्धित फर्म को अनिवार्य रूप से करनी होगी।
13. प्रीपेड व्यवस्था में प्रयुक्त सामग्री जैसे–कम्प्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, थर्मल प्रिन्टर, यात्रा पर्ची, कलर कार्टेज आदि एवं मानव संसाधन भी निविदा के साथ सम्मिलित किये जायें। सामग्री का पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को होगा।
15. किसी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र रूद्रप्रयाग होगा।
16. फर्म का भुगतान योजना के सफल संचालन करने पर किश्तों में दिया जायेगा।

ह0/–
जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग।